कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/माध्यमिक/मोनेटरिंग/बोर्ड/2026–33423–45903 पार्ट फा–1 दिनांक यथा हस्ताक्षर

:: परिपत्र ::

शिक्षा विभाग में समय–समय पर विभिन्न परीक्षाए, निरीक्षण, प्रतियोगिताओं, प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता रहा है। परीक्षा हेतु गठित विभिन्न स्तर के उड़नदस्ता प्रभारियों, विभागीय निरीक्षण अधिकारियों तथा अन्य स्त्रोतों से मिले पृश्ठ पोशण के आधार पर डी.एलएड़, डाईट मे आयोजित विभिन्न परीक्षाएं, खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन, प्राईवेट विद्यालयों की मान्यता/क्रमोन्नति हेतु निरीक्षण तथा प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन हेतु विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर निरीक्षणकर्ता, उड़न दस्ता सदस्य, वाह्य परीक्षक आदि अधिकारी/कार्मिकों के स्वागत परम्परा पर रोक लगाने एवं परीक्षा अवधि में राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थी हितार्थ शिक्षण कार्य के निर्विघ्न एवं सुचारू संचालन हेतु विभिन्न परीक्षा/प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन के संबंध में निम्नांकित विवरणानुसार स्थाई निर्देश प्रदान किए जाते हैं : –

1. निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर, संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक व जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक स्तर पर विभिन्न परीक्षाए, विद्यालय मान्यता एवं क्रमोन्नति हेतु निरीक्षण, प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु/मोनिटरिंग हेतु तथा प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन हेतु उडन दस्ते गठित किये जाकर प्रेक्टिकल परीक्षाओं में शिक्षकों का स्वागत एवं मेहमान नवाजी परम्परा पर अंकुश लगाए जाने हेतु सम्बन्धित संभागीय संयुक्त निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय–माध्यमिक को अधिकृत कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में उक्त आचरण नियमों संबंधी निर्देशों को जारी कर पालना सुनिश्चित करावें।
2. संबंधित विद्यालय/बाह्य परीक्षक यदि किसी भी प्रकार की प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित अनियमितता अथवा नियम विरूद्ध आचरण/कार्यवाही करता है तो ऐसी शिकायतें/सूचना विवरण सहित परीक्षा पूर्व/परीक्षा के दौरान बोर्ड को जरिये मेल एवं बोर्ड के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष पर सूचित करावें। परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त ऐसी सूचनाओं शिकायतों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा एवं दुर्भावनावश शिकायत करना माना जावेगा।
3. प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु बाह्य वीक्षक के रूप में केवल राजकीय उमावि स्तर के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को ही लगाया जावे। निजी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को किसी भी स्तर पर नहीं लगाया जावे।
4. प्रायोगिक परीक्षा के दौरान परीक्षक सतर्क रहे एवं किसी भी प्रकार की अन्यथा गतिविधियां नहीं हो इसका विशेष ध्यान रखें। इसके उपरान्त भी यदि कोई नियम विरूद्ध अन्यथा गतिविधि होती है अथवा प्रभावित करने का प्रयास किया अथवा प्रभावित किया जाता है तो अविलम्ब निकटतम पुलिस स्टेशन पर लिखित सूचना दें एवं अन्य नियमानुसार वांछित कार्यवाही करें, साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी एवं बोर्ड को भी लिखित ई–मेल से एवं नियंत्रण कक्ष पर सूचना दें।
5. प्रायोगिक परीक्षाओं के दौरान स्वागत परम्परा यथा परीक्षक को होटल में रूकने की व्यवस्था आयोजक द्वारा करना, स्वागत सत्कार, भोजन व्यवस्था, किसी भी प्रकार की गिफट देना इत्यादि का निर्वहन किसी भी स्तर पर न किये जाने हेतु संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.12.22 12:23:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19512942

तथा उक्त बाबत् कोई शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी/कार्मिक को दायित्वबद्ध किए जाने के साथ–साथ संस्था प्रधान को दायित्वबद्ध किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6. समस्त संस्था प्रधानों को पाबन्द किया जाता है कि "विद्यालय/बाह्य परीक्षक यदि किसी भी प्रकार की प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित अनियमितता अथवा नियम विरूद्ध आचरण/कार्यवाही की शिकायत है तो ऐसी शिकायत /सूचना विवरण सहित तत्समय ही बोर्ड को ई मेंल एवं बोर्ड के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष पर सूचित करावें। परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त ऐसी सूचनाओं शिकायतों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा एवं दुर्भावनावश शिकायत करना माना जावेगा।
7. बोर्ड मुख्य परीक्षा की भांति ही प्रायोगिक परीक्षा की सम्पूर्ण वीडियोग्राफी कराई जावे।
8. विभिन्न परीक्षाए, विद्यालय मान्यता एवं क्रमोन्नति हेतु निरीक्षण, प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु/मोनिटरिंग हेतु नियुक्त अधिकारी/कार्मिक आवश्यक रिपोर्ट/निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर उसी दिन या विशेष परिस्थितियों में अगले दिन तक आवश्यक रूप से उच्चाधिकारियों को प्रेषित करेंगे तथा प्रायोगिक परीक्षा संपन्न दिवस को ही प्रदत्त अंकों का विवरण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जावे।
9. विभिन्न परीक्षा/निरीक्षण के दौरान स्वागत एवं मेहमान नवाजी नहीं किये जाने के संबंध में समस्त छात्र–छात्राओं एवं अभिभावकों को जागरूक किये जाने के संबध में दिशा निर्देश प्रसारित किये जा सकते है।
10. विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन, विशेष आकस्मिक निरीक्षण संबंधी नियुक्त अधिकारी/कार्मिक के संबंध में एवं प्रायोगिक परीक्षा में नियुक्त वीक्षक की सूचना गोपनीय रखी जावे यथा संभव संबंधित विद्यालय में परीक्षा दिवस से एक दिवस पूर्व ही अवगति दी जावे।
11. विभिन्न परीक्षा/प्रायोगिक परीक्षा के दोरान यदि किसी विद्यालय का संस्था प्रधान या विषय अध्यापक स्वागत एवं मेहमानवाजी करता पाया जाये तो कठोर दण्ड का प्रावधान किया जावे।
12. विभिन्न परीक्षा/प्रायोगिक परीक्षा के दोरान यदि किसी अधिकारी/कार्मिक/वीक्षक की नियुक्ति से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जावें कि उसका कोई निकट संबंधी या रिश्तेदार उक्त केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहा है, यदि ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो संबंधित नियंत्रण अधिकारी तत्काल उक्त बाबत् ठोस कार्यवाही करेंगे तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर अनुशासनात्मक अधिकारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
13. संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक व जिशिअ को किसी भी स्तर से उल्लिखित निर्देशों की अवेहलना संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल उसकी रोकथाम संबंधी कदम उठाना सुनिश्चित करेंगे तथा उक्त बाबत् दोषी अधिकारी/कार्मिक के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.12.22 12:23:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19512942

क्रमांक : शिविरा–माध्य/माध्यमिक/मोनेटरिंग/बोर्ड/2026–33423–45903 पार्ट फा–1 **दिनांक यथा हस्ताक्षर**

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शिक्षा सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राज.,बीकानेर
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर।
5. सिस्टम ऐनालिस्ट, कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
6. सहायक निदेशक, पीएसपी/महात्मा गांधी/खेलकूद अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सम्पादक, शिविरा अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ
8. समस्त प्राचार्य–डाईट।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
10. समसत जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माधयिमक।
11. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
12. समस्त पीईईओ/यूसीबीईओ/संस्था–प्रधान–राबाउमावि/राउमावि/महात्मा गांधी राजकीय विद्य ालय।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.12.22 12:23:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19512942